भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2074
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र

2074. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेएके) किस प्रकार रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं;

(ख) क्या ये केंद्र, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सीमित है, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत, रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों सहित आम जनता को गुणवत्तापूर्ण एवं वहनीय दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 30.6.2025 तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कुल 106 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं।

(ख) और (ग): दिनांक 30.6.2025 तक देश भर में कुल 16,912 जेएके खोले गए हैं, जिनमें से 8,660 जेएके ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाने के लिए, इस योजना ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और अन्य सहकारी समितियों द्वारा जेएके खोलने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है।

औसतन, लगभग 10 से 12 लाख व्यक्ति प्रतिदिन इन केंद्रों पर आते हैं और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे देश में वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित, देश भर में ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 38,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है।

ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर के जेएके में सुचारू आपूर्ति और उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, एक संपूर्ण आईटी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें एक केंद्रीय मालगोदाम, चार क्षेत्रीय मालगोदाम और नियुक्त किए गए 39 वितरक शामिल हैं। इसके अलावा, तेजी से बिक्री होने वाले 400 जनऔषधि उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनकी नियमित निगरानी की जाती है। इसके अलावा, 200 जनऔषधि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम भंडारण अधिदेश लागू किया गया है, जिसमें योजना के उत्पाद समूह के सबसे अधिक बिक्री होने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाले 100 जनऔषधि उत्पाद शामिल हैं। भंडारण अधिदेश के तहत, जेएके मालिक अपने द्वारा रखे गए उक्त 200 उत्पादों के भंडारण के आधार पर प्रोत्साहन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं।

*****